27/5/25 आज पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित।
तहसीलदार बाबत मिसल प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। राजस्व
बहस उभयपक्ष तहसीलदार प्रस्ताव पर सुनी गई।
दावा वादी आज्ञप्ति डिक्री किया जाता है। निर्णय
एवं डिक्री पृथक से लिखाये जाकर शामिल पत्रावली
किये गये। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल सि०
दफ्तर हो।

उपखण्डाधिकारी
बाड़ी (धौलपुर) राज

डिक्री व मुकदमे इब्तदाई

(औ. 20 ए. 6–7 जाब्ता दीवानी)

(Civil procedure Code Appendix 'D'-1)

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी** मुकाम **बाडी जिला धौलपुर (राज0)**
व इजलास **श्री यशवन्त मीणा (R.A.S.)**

1. राजू पुत्र रामजीलाल आयु 23 वर्ष जाति मीना निवासी ग्राम धनौरा तह0 बाडी जिला धौलपुर

बनाम

1. भगवानलाल पुत्र गडरिया जाति मीना निवासी ग्राम धनौरा तह0 बाडी
2. मूलो बेबा गडरिया जाति मीना निवासी ग्राम धनौरा तह0 बाडी
3. रामकटोरी पुत्री गडरिया पत्नी अमरसिंह जाति मीना निवासी ग्राम बीझौली तह0 सरमथुरा
4. लीला बेबा रामजीलाल जाति मीना निवासी ग्राम धनौरा तह0 बाडी
5. राजेश्वरी पुत्री रामजीलाल पत्नी सदानसिंह जाति मीना निवासी ग्राम सुनकई तह0 सरमथुरा
6. गुडिया पुत्री रामजीलाल पत्नी दुर्गसिंह जाति मीना निवासी ग्राम सुनकई तह0 सरमथुरा
7. राममरोसी पुत्र दामू जाति मीना निवासी ग्राम धनौरा तह0 बाडी
8. भगवानसिंह पुत्र रघुनाथ जाति मीना निवासी ग्राम धनौरा तह0 बाडी
9. बनिया पुत्र सभाराम जाति मीना निवासी ग्राम धनौरा तह0 बाडी
10. राजस्थान सरकार तामील जरिये तहसीलदार तहसील बाडी

दावा दावत

मुकदमा नं. **94/2014**
यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई स्वंय
व हाजरी **श्री रामनिवास मित्तल एड0** मिनजानिव मुद्दई **श्री रामजीलाल चौहान एड0**
मिनजानिव मुख्यलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है

दावा वादी प्राथमिक डिकी किया जाकर विवादित आराजी ख0नं0 59/0–19 बांके ग्राम धनौरा में वादी हिस्सा 15/38 का व प्रति0 सं0 1 हिस्सा 15/38 का व प्रति0 सं0 7 हिस्सा 8/38 का एवं ख0नं0 60/1–02, 253/1–00, 541/0–07, 796/0–10, 869/0–12 बांके ग्राम धनौरा तह0 बाडी व आराजी ख0नं0 23/1–01 बांके ग्राम रजापुर व ख0नं0 1071/1–11 बांके ग्राम हांसई तह0 बाडी में वादी हिस्सा 1/2 का व प्रति0 सं0 1 हिस्सा 1/2 का एवं ख0नं0 624/0–08, 626/5–10, 633/1–00 बांके ग्राम मत्सूरा तह0 बाडी में वादी हिस्सा 1/4 का व प्रति0 सं0 1 हिस्सा 1/4 का व प्रति0 सं0 9 हिस्सा 1/2 का एवं ख0नं0 218/0–18 बांके ग्राम हुसैनपुर तह0 बाडी में वादी हिस्सा 1/4 का व प्रति0 सं0 1 हिस्सा 1/4 का व प्रति0 सं0 8 हिस्सा 1/2 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज किया जाकर एवं वादी व प्रति0 के मध्य बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने हेतु तहसीलदार बाडी को प्राथमिक डिकी की प्रति भेजी जावे। प्रति0 सं0 1 लगा0 6 को स्थाई निशेधाज्ञा से पावन्द किया जाता है कि वे बाद बंटवारा वादी के हिस्से में आई आराजी में किसी भी प्रकार की मजाहमत व मदाखलत बेजा नहीं करें।

मौज .... मुबलिग.................. बाबत ....खर्चा इस मुकद्दमे के मय सूद व शहर .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयावी तक .... को अदा करें।

वसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 20 माह 11 साल 2023 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत ....

ओहदा उपखण्ड अधिकारी बाडी

उपखण्ड अधिकारी
बाड़ी (धौलपुर) राज.

मुद्दई	रूपया	न.पै.	मुद्दायला	रूपया	न.पै.
स्टाम्प मरजीदावा					
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प अरजी		
महनतनामा वकील) रू0			महनताना वकील) रू0		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बालत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुतफर्रिक			मुतफर्रिक		
मीजान			मीजान		

नोट इस फार्म पर कुल खर्चा हर रो फरीकेन का वाहे डिग्री के जरिये दिखाया गया हो या/नही खर्च करना चाहिये।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बाड़ी

क्रमांक/ग्रा.रक/2024/77- दि. 15.2.24

तहसीलदार
बाड़ी

प्रमाणित डिग्री की छाया प्रति संलग्न कर लेख है कि डिग्री की मुताबिक दि. 20.3.23 विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पूर्ण किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
बाड़ी (धौलपुर) राज.

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाडी जिला – धौलपुर

पीठासीन अधिकारी – श्री यशवन्त मीणा (आर0ए0एस0)

उनवान

राजू बनाम भगवानलाल

1. राजू पुत्र रामजीलाल आयु 23 वर्ष जाति मीना निवासी ग्राम धनौरा तह0 बाडी जिला धौलपुर

वादी :–

बनाम

1. भगवानलाल पुत्र गडरिया जाति मीना निवासी ग्राम धनौरा तह0 बाडी
2. मूलो बेबा गडरिया जाति मीना निवासी ग्राम धनौरा तह0 बाडी
3. रामकटोरी पुत्री गडरिया पत्नी अमरसिंह जाति मीना निवासी ग्राम बीझौली तह0 सरमथुरा
4. लीला बेबा रामजीलाल जाति मीना निवासी ग्राम धनौरा तह0 बाडी
5. राजेश्वरी पुत्री रामजीलाल पत्नी सदानसिंह जाति मीना निवासी ग्राम सुनकई तह0 सरमथुरा
6. गुडिया पुत्री रामजीलाल पत्नी दुर्गसिंह जाति मीना निवासी ग्राम सुनकई तह0 सरमथुरा

प्रतिवादीगण :–

7. रामभरोसी पुत्र दामू जाति मीना निवासी ग्राम धनौरा तह0 बाडी
8. भगवानसिंह पुत्र रघुनाथ जाति मीना निवासी ग्राम धनौरा तह0 बाडी
9. बनिया पुत्र सभाराम जाति मीना निवासी ग्राम धनौरा तह0 बाडी
10. राजस्थान सरकार तामील जरिये तहसीलदार तहसील बाडी

तरतीवी प्रतिवादी :–

उपस्थित वादी के वकील – श्री सुरेश श्रीवास्तव एड0
प्रति0 के वकील – श्री रामजीलाल चौहान एड0

दावा अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 रा0का0अधि0

दिनांक :– 20.11.23

दावा सं. 94/2014

निर्णय

वादी द्वारा उक्त उनवान का दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि :–

मद सं0 1 में सिजरा फरीकेन अंकित किया। विवादित आराजी ख0नं0 59/0–19, 60/1–02, 253/1–00, 541/0–07, 796/0–10, 869/0–12 बांके ग्राम धनौरा तह0 बाडी तथा आराजी ख0नं0 23/1–01 बांके ग्राम रजापुर तह0 बाडी तथा ख0नं0 1071/1–11 बांके ग्राम हांसई तह0 बाडी एवं ख0नं0 624/0–08, 626/5–10, 633/1–00 बांके ग्राम मत्सूरा तह0 बाडी व ख0नं0 218/0–18 बांके ग्राम हुसैनपुर तह0

बाडी में है। विवादित आराजी ख0नं0 59/0–19 में वादी के बाबा गडरिया हि0 15/19 तथा प्रति0 सं0 7 4/19 के, ख0नं0 60/1–02, 253/1–00, 541/0–07, 796/0–10, 869/0–12 बांके ग्राम धनौरा तह0 बाडी में वादी के बाबा गडरिया सम्पूर्ण हिस्सा के, आराजी ख0नं0 23/1–01 बांके ग्राम रजापुर तह0 बाडी में वादी के बाबा गडरिया सम्पूर्ण हिस्सा के, ख0नं0 1071/1–11 बांके ग्राम हांसई तह0 बाडी में वादी के बाबा गडरिया सम्पूर्ण हिस्सा के, ख0नं0 624/0–08, 626/5–10, 633/1–00 बांके ग्राम मत्सूरा तह0 बाडी में वादी के बाबा 1/2 हिस्सा के, व प्रति0 सं0 9 हिस्सा 1/2 के, ख0नं0 218/0–18 बांके ग्राम हुसैनपुर तह0 बाडी में वादी के बाबा 1/2 हिस्सा के, व प्रति0 सं0 8 हिस्सा 1/2 के संयुक्त रूप से खातेदार काश्तकार है। वादी के बाबा गडरिया का निधन हो चुका है। वादी के बाबा गडरिया के दो पुत्र भगवानलाल व वादी के पिता रामजीलाल थे तथा एक पुत्री रामकटोरी व विधवा मूलो थी। वादी एवं प्रति0 सं0 1 लगा0 6 जाति मीना है जो अनुसूचित जन जाति के श्रेणी में आते है। अनुसूचित जन जाति की विरासत के लिए हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 लागू नहीं होता है। क्योंकि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 2 (25) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366 में यह प्रतिबन्धित है कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम अनुसूचित जनजाति पर लागू नहीं होगा। उपरोक्त कारण के आधार पर वादी के बाबा की विरासत उनके निधन के बाद उनके दोनों पुत्रों को प्राप्त हुई। इसलिए विवादित आराजी में गडरिया की समस्त आराजी में 1/2 हिस्सा तथा प्रति0 सं0 1 भगवानलाल 1/2 हिस्सा के खातेदार काश्तकार काबिज हुए। प्रति0 1 जो चालाक किस्म का है तथा वादी के हिस्सा को हडपना चाहता है। इसलिए उसने सिजरा बनाकर तथा पटवारी हल्का से मिलकर विवादित आराजी की विरासत हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अधीन खुलवाने के लिए नामान्तकरण भरवा दिया है। जिसमें प्रति0 सं0 2 लगा0 6 का नाम अंकित करा दिया है। जो कतई गलत है। क्योंकि प्रति0 सं0 2 लगा0 6 को कोई विरासत वादी के बाबा गडरिया की आराजी काश्त में प्राप्त नहीं होती है। क्योंकि वादी व प्रति0 अनुसूचित जनजाति के है। लेकिन प्रति0 सं0 1 लगा0 6 ने कहा कि हम तो इसी अनुसार विरासत खुलवायेंगे तथा प्रति0 सं0 2 व 3 ने कहा कि विरासत खुलते ही अपने हिस्सा को प्रति0 सं0 1 के नाम कर देंगे। प्रति0 सं0 2 लगा0 6 को अपने हक में विरासत का नामान्तकरण खुलवाने का कोई कानूनी अधिकार हांसिल नहीं है। यदि ऐसा कोई नामान्तकरण पटवारी हल्का व सरपंच खोल भी देता है तो वह प्रारम्भ से ही शून्य व प्रभावहीन है व काबिल पावन्दी वादी नहीं है। वादी व प्रति0 सं0 1 का विवादित आराजी में ख0नं0 59/0–19 बांके ग्राम धनौरा में वादी हिस्सा 15/38 व प्रति0 सं0 1 हिस्सा 15/38 व प्रति0 सं0 7 हिस्सा 8/38 एवं ख0नं0 60/1–02, 253/1–00, 541/0–07, 796/0–10, 869/0–12 बांके ग्राम धनौरा तह0 बाडी व आराजी ख0नं0 23/1–01 बांके ग्राम रजापुर व ख0नं0 1071/1–11 बांके ग्राम हांसई तह0 बाडी में वादी हिस्सा 1/2 व प्रति0 सं0 1 हिस्सा 1/2 एवं ख0नं0 624/0–08, 626/5–10, 633/1–00 बांके ग्राम मत्सूरा तह0 बाडी में वादी हिस्सा 1/4 व प्रति0 सं0 1 हिस्सा 1/4 व प्रति0 सं0 9 हिस्सा 1/2 एवं ख0नं0 218/0–18 बांके ग्राम हुसैनपुर तह0 बाडी में वादी हिस्सा 1/4 व प्रति0 सं0 1 हिस्सा 1/4 व प्रति0 सं0 8 हिस्सा 1/2 बनता है। वादी मद सं0 9 के हिस्सा अनुसार विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित कराने का अधिकारी है। चूंकि वादी का अब विवादित आराजी

में शामिल काश्त करना संभव नही होगा, क्योंकि प्रति0 सं0 1 लगा0 6 वादी को विवादित आराजी में काश्त नहीं करने देगें। ऐसी अवस्था में वादी जरिये न्यायालय विवादित आराजी का बंटवारा कराकर पृथक खाता व लगान कायम करावे तथा मौके पर पृथक पृथक आधिपत्य धारण करे तथा प्रति0 को पावन्द करावे कि वादी को विवादित आराजी से बेदखल कर कब्जा नहीं करें। काश्त करने से नहीं रोकें। वादी के हिस्सा तक विवादित आराजी को जब तक बंटवारा नहीं हो जाता है कहीं रहन वय मुन्तकिल नहीं करें। राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें। वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत व मदाखलत पैदा नहीं करें। यदि प्रति0 को पावन्द नहीं किया गया तो वह विवादित आराजी में वादी के हिस्से में काश्त नहीं करने देंगे व बेदखल कर कब्जा कर लेंगे तथा नामान्तकरण करवाकर रहन वय मुन्तकिल कर देंगे। जिससे वादी को नाकाबिले बर्दाश्त नुकसान होगा जिसकी पूर्ति धन व हर्जे से किसी प्रकार संभव नहीं होगी।

इस प्रकार दावा प्रस्तुत कर वादी ने निवेदन किया कि :–

विवादित आराजी ख0नं0 59/0–19 बांके ग्राम धनौरा में वादी हिस्सा 15/38 व प्रति0 सं0 1 हिस्सा 15/38 व प्रति0 सं0 7 हिस्सा 8/38 एवं ख0नं0 60/1–02, 253/1–00, 541/0–07, 796/0–10, 869/0–12 बांके ग्राम धनौरा तह0 बाडी व आराजी ख0नं0 23/1–01 बांके ग्राम रजापुर व ख0नं0 1071/1–11 बांके ग्राम हांसई तह0 बाडी में वादी हिस्सा 1/2 व प्रति0 सं0 1 हिस्सा 1/2 एवं ख0नं0 324/0–08, 626/5–10, 633/1–00 बांके ग्राम मत्सूरा तह0 बाडी में वादी हिस्सा 1/4 व प्रति0 सं0 1 हिस्सा 1/4 व प्रति0 सं0 9 हिस्सा 1/2 एवं ख0नं0 218/0–18 बांके ग्राम हुसैनपुर तह0 बाडी में वादी हिस्सा 1/4 व प्रति0 सं0 1 हिस्सा 1/4 व प्रति0 सं0 8 हिस्सा 1/2 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। प्रति0 1 लगा0 6 को जरिये स्थाई निशेधाज्ञा से पावन्द किया जावे कि विवादित आराजी से वादी को उसके हिस्से पर काश्त करने से नहीं रोकें, बेदखल कर कब्जा नहीं करें। कहीं रहन वय मुन्तकिल नहीं करें। वादी के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की मजाहमत व मदाखलत पैदा नहीं करें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रति0 को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रति0 सं0 1 व 7 लगा0 9 वावजूद सूचना न्यायालय में अनुपस्थित आये। अतः उनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रति0 सं0 2 लगा0 6 द्वारा उपस्थित न्यायालय आकर इकबालदावा प्रस्तुत कर दावे में अंकित तथ्यों को स्वीकार कर वादी का दावा डिकी किये जाने में कोई आपत्ति न होना अंकित किया।

दावा एवं इकबालदावा के आधार पर प्रकरण में निम्न तनकियात कायम की गई :–

1. आया वादी अनुसूचित जनजाति का होने के कारण विवादित आराजी में वादी व प्रति0 वादपत्र की मद सं0 10 ए, बी, सी, डी में अंकित हिस्सानुसार खातेदार काश्तकार घोषित कराने तथा राजस्व अभिलेख में प्रविष्टि कराने का अधिकारी है।
2. आया वादी विवादित आराजी का बंटवारा न्यायालय के माध्यम से कराने तथा पृथक खाता लगान कायम कराने व कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है।
3. आया वादी स्थाई निशेधाज्ञा खिलाफ प्रति0 प्राप्त करने का अधिकारी है।
4. अनुतोश

वादी द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में Ex 1 to Ex 6 नकल जमाबन्दी सं0 2068–71 पेश की तथा मौखिक साक्ष्य के रूप में Pw 1 राजू के बयान कराये। प्रति0 द्वारा कोई भी दस्तावेजी या मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की।

तत्पश्चात बहस वकील उभयपक्ष समाअत की गई। हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। तनकीवार निष्कर्ष निम्न प्रकार है :–

तनकी नं0 1 :–

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर है। वादी द्वारा प्रस्तुत Ex 1 to Ex 6 नकल जमाबन्दी सं0 2068–71 से यह तथ्य तो निर्विवाद है कि प्रश्नगत आराजी पर वर्तमान में भी वादी के बाबा गडरिया एवं प्रति0 सं0 7 लगा0 9 खातेदार काश्तकार है। वादी द्वारा दावा में अंकित शिजरा के अनुसार गडरिया के दो पुत्र वादी के पिता रामजीलाल एवं प्रति0 सं0 1 भगवानलाल है। साथ ही यह तथ्य भी स्पष्ट है कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम मीणा जाति पर लागू नहीं होता है। जिसके कारण शिजरा में अंकित लडकियों को हिस्सा नही मिलेगा। वादी द्वारा अपनी प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य से यह भी सिद्ध कराया है कि मुताबिक हिस्सा वादी वर्तमान में भी प्रश्नगत आराजी पर काबिज है। प्रति0 सं0 2 लगा0 6 द्वारा वादी के समर्थन में इकबालदावा पेश किया है। इसके अलावा प्रति0 सं0 1 द्वारा वावजूद सूचना न्यायालय में अनुपस्थित होना भी वादी के कथनों की पुश्टि करता है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो प्रति0 सं0 1 न्यायालय में उपस्थित होकर चाराजोई अवश्य करता। ऐसी स्थिति में वादी प्रश्नगत आराजी अपने आपको वादपत्र की मद सं0 10 ए, बी, सी, डी में अंकित हिस्सानुसार खातेदार घोशित कराने का अधिकारी पाया जाता है। अतः यह तनकी वादी के पक्ष में फैसल की जाती है।

तनकी नं0 2 :–

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर है। तनकी सं0 1 के विवेचन में वादी को प्रश्नगत आराजी में मुताबिक हिस्सा खातेदार काश्तकार माना जा चुका है। राज0काश्त0अधि0 के मुताबिक प्रत्येक खातेदार अपनी खातेदारी की आराजी का बंटवारा कराने का मुश्तहक होता है। ऐसी स्थिति में वादी सह खातेदार की हैसियत से प्रश्नगत आराजी का बंटवारा कराने का अधिकारी है। अतः यह तनकी भी वादी के पक्ष में फैसल की जाती है।

तनकी नं0 3 :–

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर है। तनकी सं0 1 व 2 के विवेचन में वादी को प्रश्नगत आराजी में मुताबिक हिस्सा खातेदार काश्तकार एवं प्रश्नगत आराजी का बंटवारा कराने का मुश्तहक माना जा चुका है। राज0काश्त0अधि0 के मुताबिक खातेदार अपनी खातेदारी की आराजी पर प्रति0 को पावन्द कराने का अधिकारी होता है। ऐसी स्थिति में वादी काबिज खातेदार की हैसियत से प्रति0 को पावन्द कराने के अधिकारी है। अतः यह तनकी भी बहक वादी विरुद्ध प्रति0 फैसल की जाती है।

इस प्रकार वादी प्रश्नगत आराजी में अपने आपको मुताबिक हिस्सा खातेदार काश्तकार एवं प्रश्नगत आराजी का बंटवारा कराने का अधिकारी पाया जाता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद मेरी राय में स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश है कि दावा वादी प्राथमिक डिकी किया जाकर विवादित आराजी ख0नं0 59/0–19 बांके ग्राम धनौरा में वादी हिस्सा 15/38 का व प्रति0 सं0 1 हिस्सा 15/38 का व प्रति0 सं0 7 हिस्सा 8/38 का एवं ख0नं0 60/1–02, 253/1–00, 541/0–07, 796/0–10, 869/0–12 बांके ग्राम धनौरा तह0 बाडी व आराजी ख0नं0 23/1–01 बांके ग्राम रजापुर व ख0नं0 1071/1–11 बांके ग्राम हांसई तह0 बाडी में वादी हिस्सा 1/2 का व प्रति0 सं0 1 हिस्सा 1/2 का एवं ख0नं0 624/0–08, 626/5–10, 633/1–00 बांके ग्राम मत्सूरा तह0 बाडी में वादी हिस्सा 1/4 का व प्रति0 सं0 1 हिस्सा 1/4 का व प्रति0 सं0 9 हिस्सा 1/2 का एवं ख0नं0 218/0–18 बांके ग्राम हुसैनपुर तह0 बाडी में वादी हिस्सा 1/4 का व प्रति0 सं0 1 हिस्सा 1/4 का व प्रति0 सं0 8 हिस्सा 1/2 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज किया जाकर एवं वादी व प्रति0 के मध्य बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने हेतु तहसीलदार बाडी को प्राथमिक डिकी की प्रति भेजी जावे। प्रति0 सं0 1 लगा0 6 को स्थाई निशेधाज्ञा से पावन्द किया जाता है कि वे बाद बंटवारा वादी के हिस्से में आई आराजी में किसी भी प्रकार की मजाहमत व मदाखलत बेजा नहीं करें। निर्णय के अनुसार प्राथमिक डिकी जारी की जावे। पत्रावली आगामी तारीख पेशी पर पेश हो।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बाडी

उपखण्ड अधिकारी
बाड़ी (धौलपुर) राज.